

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र,
वसन्त विहार, देहरादून।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग:

देहरादून दिनांक: 14 सितम्बर, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 की वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-यू-सर्क/आ0व0मु0बजट/2017-18/2707 दिनांक 22.08.2017 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3/(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 के क्रम में लेखाशीर्षक 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-60-अन्य-004-अनुसंधान तथा विकास-01 केन्द्रीय द्वारा पुरोनिधानित योजना-09-उत्तरांचल विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान केन्द्र की स्थापना-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में ₹12.50 लाख (₹Twelve Lakh Fifty Thousand Only) निम्नमदानुसार एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	मद	धनराशि (₹) में
1.	मेंटरशिप कार्यक्रम	1,00,000.00/-
2.	यू-सर्क द्वारा स्थापित गणितीय विज्ञान केन्द्र के संचालन हेतु	1,00,000.00/-
3.	राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवसों का आयोजन	1,50,000.00/-
4.	Outreach Programme/ शोध एवं विकास(R&D) गतिविधियों हेतु	4,50,000.00/-
5.	अध्यापक विज्ञान कॉन्फेरेन्स का आयोजन	50,000/-
6.	इन्नोवेटिव एण्ड क्रियेटिव टेलेन्ट मेंटरिंग प्रोग्राम	50,000/-
7.	यू-सर्क द्वारा स्थापित जलवायु परिवर्तन के उत्कृष्ट केन्द्र के संचालन हेतु	1,00,000/-
8.	उत्तराखण्ड ज्ञान विज्ञान अभियान हेतु	2,00,000/-
9.	दिव्यांग केन्द्र की स्थापना	50,000/-
	योग	12,50,000/-

- उक्त धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3/(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 में निहित प्रावधानों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यय किये जाने से पूर्व वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार सक्षम प्राधिकारी का व्यय प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में निहित प्रावधानों, व्यवस्थाओं एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में निर्गत संगत शासनादेशों एवं नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- संस्था द्वारा यदि किसी योजना/योजनाओं में धनराशि पी0एल0ए0 खाते में जमा की गई है तो सर्वप्रथम उक्त अवशेष धनराशि को आहरित कर व्यय सुनिश्चित किया जाय, तदोपरान्त ही अवमुक्त की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाय। अवमुक्त की जा रही धनराशि उक्त मद में ही नियमानुसार व्यय की जाय। किसी मद में धनराशि परिवर्तन का अधिकार संस्था को नहीं होगा, यदि किसी मद में धनराशि परिवर्तित/स्थानान्तरण किये जाने की आवश्यकता हो, तो इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी/शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही धनराशि व्यय की जाय। सम्बन्धित मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जाय तथा न ही अधिक

कमरा-2

- व्ययभार सृजित किया जाय। यदि ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उक्त कृत्य को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा जिसके लिए सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।
3. उपरोक्त उल्लिखित मदों के अन्तर्गत व्यय किये जाने से पूर्व जिन कार्यों/मदों/योजना में धनराशि व्यय की जानी हो, उन कार्यों/मदों/योजना में कार्य की अवधि, नियोजित कार्मिक, कार्य की अनुमानित लागत, औचित्य, कुल एवं चालू वित्तीय वर्ष में कार्य के निर्धारित लक्ष्य इत्यादि पक्षों पर सम्यक माध्यम से सक्षम प्राधिकारी/समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने उपरान्त ही कार्य/मदों/योजना में व्यय सुनिश्चित किया जाय। योजनाओं में सक्षम प्राधिकारी/समिति के अनुमोदन से पूर्व व्यय कदापि न किया जाय।
 4. वचनबद्ध मदों तथा वेतन, मंहगाई भत्ता इत्यादि में व्यय स्वीकृत ढांचे के अनुसार नियमानुसार नियुक्त कार्मिकों के सापेक्ष ही किया जाय। यदि संस्था के अन्तर्गत स्वीकृत ढांचे के अतिरिक्त, कार्मिक किसी भी माध्यम से योजित हों अथवा नियोजित किये जाने की आवश्यकता हो तो उन कार्मिकों के सम्बन्ध में विभिन्न भारत व्ययों का भुगतान संस्था की स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष ही वहन किया जाय। उक्त का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 5. बी0एम0-8 पर सम्बन्धित मदवार विवरण सहित संकलित मासिक सूचनायें प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। माह में किये गये कार्यों का प्रमाण-पत्र/विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए एवं वर्षान्त पर सम्पूर्ण आवृत्ति धनराशि का व्यय विवरण व उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा किये गये कार्यों एवं वार्षिक प्रगति विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा और महालेखाकार से समय-समय पर आंकड़ों का मिलान सुनिश्चित किया जाए।
 6. स्वीकृत धनराशि के बिल जिलाधिकारी, देहरादून से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के उपरान्त कोषागार से आहरित किये जाय, तथा प्राप्त धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2018 तक करते हुए प्रत्येक माह का बी0एम0-13 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
 7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय के आयोजनागत मद में अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-60-अन्य-004- अनुसंधान तथा विकास-01 केन्द्रीय द्वारा पुरोनिधानित योजना-09-उत्तरांचल विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान केन्द्र की स्थापना-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-अलोटमेन्ट आई0डी0।

भवदीय,

(रविनाथ रासन)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या-~~2~~(1)/XXXVIII/2017-18/2017तदुदिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)

संयुक्त सचिव।